



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012021-224668
CG-DL-E-23012021-224668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942

No. 299]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

का.आ. 330(अ).— यत केन्द्रीय सरकार को लोकोहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में **G#739, G#737, G#743 से EPS 253 (4*फलो—लाइन)** ओ.एन.जी.सी लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए। और केन्द्रीय सरकार को उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमी में, जिसके भीतर पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, और जो इस अधिसूचना से उपावह अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अव, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनीज पाइपलाइन (भूमी में, उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा—3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमी में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा — 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमी के भीतर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी परिसर, अंकलेश्वर परिसंपत्ति, अंकलेश्वर — 393 010 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा।

अनुसूची
G#739, G#737, G#743 से EPS 253 (4*प्लो—लाइन)

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तालुका : आमोद जिला : भरुच राज्य : गुजरात					
ROU-13 M					
1	आछोद	2477	00	03	62
		2475	00	08	58
2	बुवा	1329	00	10	98
		1317	00	00	05
		1318	00	06	82
		1328	00	33	17
		1327	00	03	47
		1326	00	01	70
		1325	00	09	10
		1324	00	18	08
		1293	00	02	77
		1291	00	01	53
		1292	00	11	04
		1296	00	01	46
		1271	00	09	32
		1272	00	05	84
		1273	00	16	77
		1259	00	30	22
		1257	00	10	27
		1255	00	12	21
		1256	00	07	43
3	इन्टोला	49	00	00	15
		89	00	03	02
		52	00	01	65
		51	00	20	50
		45	00	04	52
		42	00	54	90
		40	00	12	69
		38	00	04	93
		34	00	20	61
		26	00	31	53
		622	00	12	80

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		623	00	08	53
		624	00	08	90
		613	00	06	56
		612	00	16	46
		606	00	15	18
		598	00	10	71
		596	00	12	98
		594	00	17	05
		595	00	03	31
		593	00	20	32
		578	00	00	01
		577	00	04	83
		679	00	03	83
		590	00	09	74
		580	00	09	64
		582	00	15	03
		536	00	06	68
		538	00	13	20
		537	00	14	82
		530	00	11	92
		523	00	39	47
		516	00	08	59
		515	00	04	45
		514	00	04	54
		527	00	01	70
		513	00	20	67

[फा. सं. Expl.-11032(11)/8/2021-EXPL-I-PNG]

अवधेश कुमार मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2021

S.O. 330(E).— WHEREAS it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from **G#739, G#737, G#743 To EPS 253 (4" Flow Line)** in Gujarat State should be laid by the Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire that Right of User in the land described in the schedule annexed hereto:-

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT ANY person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR – 390010 (GUJARAT).

AND every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

G#739, G#737, G#743 To EPS 253 (4" Flow Line)

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TALUKA: AMOD DISTRICT: BHARUCH SATATE: GUJARAT					
ROU-13 M					
1	ACHHOD	2477	00	03	62
		2475	00	08	58
2	BUVA	1329	00	10	98
		1317	00	00	05
		1318	00	06	82
		1328	00	33	17
		1327	00	03	47
		1326	00	01	70
		1325	00	09	10
		1324	00	18	08
		1293	00	02	77
		1291	00	01	53
		1292	00	11	04
		1296	00	01	46
		1271	00	09	32
		1272	00	05	84
		1273	00	16	77
		1259	00	30	22
		1257	00	10	27
		1255	00	12	21
		1256	00	07	43
3	INTOLA	49	00	00	15
		89	00	03	02
		52	00	01	65
		51	00	20	50
		45	00	04	52
		42	00	54	90
		40	00	12	69
		38	00	04	93

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		34	00	20	61
		26	00	31	53
		622	00	12	80
		623	00	08	53
		624	00	08	90
		613	00	06	56
		612	00	16	46
		606	00	15	18
		598	00	10	71
		596	00	12	98
		594	00	17	05
		595	00	03	31
		593	00	20	32
		578	00	00	01
		577	00	04	83
		679	00	03	83
		590	00	09	74
		580	00	09	64
		582	00	15	03
		536	00	06	68
		538	00	13	20
		537	00	14	82
		530	00	11	92
		523	00	39	47
		516	00	08	59
		515	00	04	45
		514	00	04	54
		527	00	01	70
		513	00	20	67

[F. No. Expl.-11032(11)/8/2021-EXPL-I-PNG]

AWDHESH KUMAR MEHTA, Under Secy.